संख्या-53/2026/I/1275466/2026/71-1002/18/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थित बालक छात्रावास संख्या-04 के जीर्णोद्धार कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/362, दिनांक 17.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थित बालक छात्रावास संख्या-04 के जीर्णोद्धार कार्य को राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र, प्रगति रिपोर्ट, सामग्री परीक्षण रिर्पोट एवं फोटोग्राफ्स की प्रति संलग्न करते हुए परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 185.4255 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-77/2023/I/323904/2023/71/1002/18/2023, दिनांक 30.05.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थित बालक छात्रावास संख्या-04 का जीर्णोद्धार कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 370.851 लाख (जीएसटी सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 185.4255 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु रू0 185.4255 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थित बालक छात्रावास संख्या-04 का जीर्णोद्धार कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियेाजना की अंतिम/अवशेष किश्त के रूप में **रू0 185.4255 लाख (रू0 एक करोड़ पचासी लाख बयालिस हजार पॉच सौ पचास मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

5. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-77/2023/1/323904/2023/71/1002/18/2023, दिनांक 30.05.2023 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,85,42,550 (रुपये एक करोड़ पचासी लाख बयालीस हजार पाँच सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे-ं **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031056800 राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।